छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित

विपणन संघ

सी.बी.डी.कमर्शियल कॉम्पलेक्स टॉवर ''सी'' 6 फ्लोर
सेक्टर 21 मुख्यालय अटल नगर रायपुर (छ.ग) 492002

खरीफ विपणन वर्ष 2018–19 में बारदाना रेक हैण्डलिग परिवहन कार्य हेतु ई–निविदा प्रपत्र

सी.बी.डी.कमर्शियल कॉम्पलेक्स टॉवर ''सी'' 6 फ्लोर
सेक्टर 21 मुख्यालय अटल नगर रायपुर (छ.ग) 492002

बारदाना गठान रैक हैण्डलिग एवं जिले के अंदर/बाहर परिवहन हेतु ई–निविदा प्रपत्र की विषय सूची

क्र.	विवरण	पृष्ठ क्रमांक से पृष्ठ क्रमांक तक
01	निविदाकार का नाम,पता एवं निविदा जमा/खोलने की तिथि	2
02	उद्बोधन	3
03	निविदा निर्देश एवं मार्गदर्शक सूचनाये परिशिष्ठ –1	4–9
04	निविदाकार का परिचय एवं विवरण भाग (क) तकनीकी बीड हेतु परिशिष्ठ –2	10–11
05	बारदाना गठान रेक हेण्डलिग एवं जिले के अंदर/बाहर परिवहन हेतु निविदा दर भाग (ख) वित्तीय बीड हेतु परिशिष्ठ –3	12–13
06	घोषणा पत्र परिशिष्ट – 4	14
07	खरीफ विपणन वर्ष 2016–17 में जिलेवार रेक प्वाईटवार सूची परिशिष्ठ –5	15
08	निविदाकार से इकरारनामा का प्रारूप परिशिष्ठ –6	16–18
9	सत्यनिष्ठा संधि परिशिष्ठ –7	19–24
10	अमानत राशि R.T.G.S के माध्यम से जमा हेतु जिलेंवार बैक खातें की सूची परिशिष्ठ –8	25
11	शपथ पत्र परिशिष्ठ – 9	26

1) समस्त निविदाकारों से अनुरोध है कि वे उक्त परिशिष्टों का गहन अध्ययन करने के उपरांत ही अपनी दरें प्रस्तुत करें ताकि उनके द्वारा प्रस्तुत की गई निविदा विधिवत रूप से प्रस्तुत हो सके।

2) निविदा प्रपत्र के संबंध में pre bid conference दिनांक 17.09.2018 को विपणन संघ मुख्यालय सी. बी.डी. कॉम्पलेक्स, सेक्टर 21, अटल नगर रायपुर में समय दोपहर 12.00 बजें आयोजित की जावेंगी। निविदा प्रपत्र के संबंध में यदि कोई सुझाव या आपत्ति हो तो लिखित में अवगत कराया जावें।

प्रबंध संचालक

कार्यालय छ0ग0राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित

सेक्टर 21 मुख्यालय अटल नगर रायपुर (छ.ग) 492002

बारदाना गठान रैक हैण्डलिग एवं जिले के अंदर/बाहर बारदाना परिवहन ई–निविदा 2018–19

1. निविदाकर्ता का नाम व पता — श्री/सुश्री.....
   पिता/पति का नाम.....
2. निविदाकर्ता के प्रतिष्ठान का नाम, पूर्ण पता एवं मोबाईल नं. — .....

छ.ग राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. द्वारा वर्ष 2018–19 के लिए ऑनलाईन ई–निविदा के माध्यम से रैंक हैण्डलिंग कार्य हेतु प्रतिष्ठित परिवहनकर्ताओं से निविदाएं आमंत्रित की जाती है। ऑनलाईन ई–निविदा हेतु शेड्युल निम्नानुसार है :–

Bid start Date	06-09-2018	01.00 PM
Bid Due Date	06-10-2018	01.00 PM
Bid Open Date from	06-10-2018	02.00 PM

टेक्निकल बीड के परीक्षण उपरांत फाईनेशियल बीड खोलने की कार्यवाही की जावेगी।

टिप्पणी

1. निविदा खोलने के लिये निर्धारित तारीख को यदि अवकाश घोषित किया जाता है, तो निविदा अवकाश के पश्चात् अगले कार्यकारी दिवस को खोली जायेगी लेकिन निविदा खोलने के उपरोक्त दर्शाये गये समय में परिवर्तन नहीं होगा।
2. यह निविदा फार्म अहस्तांतरणीय है।
3. निविदा दस्तावेज दिनांक 06.10.2018 को समय 01.00 PM बजें तक ऑनलाईन जमा किया जा सकता है। निविदा दस्तावेज जमा करने हेतु पर्याप्त समय दिया गया है। निविदाकारों को यह सुझाव दिया जाता है कि निविदा जमा करने की ऑनलाईन निर्देश एवं प्रकिया का विधिवत् अध्ययन कर ले एवं अंतिम समय के इंतजार किए बिना पर्याप्त समय पूर्व, निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर ऑनलाईन निविदा जमा किया जाना चाहिए ताकि अंतिम समय में साफ्टवेयर/कनेक्टीवीटी आदि में समस्या होने पर निविदा जमा करने में कठिनाई ना हो। अंतिम समय में साफ्टवेयर/कनेक्टीवीटी आदि में तकनीकी समस्या आने के कारण ऑनलाईन निविदा दस्तावेज जमा नही हाने पर समयावृद्वि करने हेतु दावा आपत्ति, अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा और ना ही मैन्युअल निविदा स्वीकार की जावेगी।
4. निविदा दस्तावेज की प्रति ऑनलाईन ही प्रस्तुत की जावेगी एवं इसके हर पृष्ठ पर निविदाकार के सीलयुक्त हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।
5. निविदा प्रपत्र वेबसाईट http://eproc.cgstate.gov.in पर उपलब्ध है। निविदा प्रपत्र वेबसाईट से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना होगा। निविदा फार्म की राशि रूपये 2500.00 (दो हजार पांच सौ रूपयें) विपणन संघ के संबंधित जिलें के बैंक खाते में ऑनलाईन जमा किया जाना है एवं रूपये 311/–(तीन सौ ग्यारह रूपये मात्र) बीड सबमिशन फीस वेबसाईट http://eproc.cgstate.gov.in में निर्धारित लिंक में चिप्स के एकाउन्ट में ऑनलाईन के माध्यम से जमा किया जाना होगा।
6. निविदा दस्तावेज जमा करने से पहले ही निविदाकार का ई प्रोक्युरमेंट वेबासाईट http://eproc.cgstate.gov.in में पंजीयन हो तथा डिजिटल सिग्नेचर (डीएससी) उपलब्ध हो यह सुनिश्चित हो।
7. प्रमाणित किया जाता है कि इस निविदा प्रपत्र में पृष्ठ कमांक **1** से **26** तक है जिसे ऑनलाईन प्रस्तुत किया जाना है।

निविदा फार्म जारी करने वाले
अधिकारी के हस्ताक्षर नाम एवं पदमुद्रा

उद्बोधन

प्रिय निविदाकार,

छ.ग. राज्य में शासन के निर्देशानुसार समर्थन मूल्य में कृषको से धान खरीदी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ, द्वारा किया जाता है। छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में धान उपार्जन हेतु जिले के अंदर व जिले के बाहर बारदाना परिवहन एवं रेक हेण्डलिग कार्य के लिए परिवहनकर्ताओं की नियुक्ति हेतु खरीफ विपणन वर्ष 2018–19 के लिए ई–निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

1. इस निविदा दस्तावेज में निम्नानुसार परिशिष्ठ संलग्न हैः–
   - (I) परिशिष्ट '1' निविदा निर्देश एवं मार्गदर्शक सूचनाएं है।
   - (II) परिशिष्ट '2' निविदाकार का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण (भाग–क) तकनीकी लिफाफा हेतु।
   - (III) परिशिष्ट '3' बारदाना गठान रैक अनलोंडिग एवं जिले के अंदर/बाहर बारदाना परिवहन हेतु निविदा दरे (भाग–ख) वित्तीय लिफाफा हेतु।
   - (IV) परिशिष्ट '4' घोषणा पत्र
   - (V) परिशिष्ट '5' बारदाना रेक हैण्डलिंग हेतु जिलेवार रेक प्वाईट की सूची।
   - (VI) परिशिष्ट '6' निविदा कार द्वारा किये जाने वाले इकरारनामा का प्रारूप।
   - (VII) परिशिष्ट '7' सत्यनिष्ठा संधि।
   - (VIII) परिशिष्ट '8' अमानत राशि R.T.G.S के माध्यम से जमा हेतु जिलेंवार बैक खातें की सूची
   - (VIIII) परिशिष्ट '9' शपथ पत्र।

निविदाकार से अनुरोध है, कि इन दस्तावेजो को भली–भांति पढने और समझने के बाद ही अपनी प्रतिस्पर्धात्मक दरें परिवहन कार्य हेतु निविदा फार्म में निर्धारित परिशिष्ट 3 मे साफ–साफ अंको एवं शब्दों में अंकित कर वित्तीय लिफाफा में प्रस्तुत करें।

2. इस उद्बोधन सहित, निविदा आमंत्रण, निविदा निर्देश व मार्ग दर्शक सूचनाये, संविदा को शासित करने वाले नियम व शर्ते, निविदा दस्तावेज एवं उनमें संलग्न सभी पृष्ठ एवं परिशिष्ट आदि इस परिवहन संविदा के अभिन्न अंग है और निविदाकार इनसे आबद्व रहने के लिए बाध्य होगा।
3. निविदाकर्ता निविदा के साथ ही वांछित दस्तावेज (परिशिष्ट–1 के अनुसार) अनिवार्य रूप से संलग्न करें। उक्त दस्तावेज संलग्न नही होने पर निविदा अस्वीकार कर दी जावेगी।
4. निविदाकार को इस निविदा के साथ संलग्न :– निविदाकार का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण को पूर्ण रूपेण एवं फोटो संलग्न करते हुए भरा जाना अनिवार्य है। कृपया इसका विशेष ध्यान रखे। प्रत्येक विवरण अपेक्षित विवरण के साथ पूर्ण भरा जाना है।

   उक्तानुसार आपसे अनुरोध है कि संबंधित परिशिष्ट एवं दस्तावेजों का भली भांति अध्ययन कर विपणन संघ के वृहद् जनउपयोगी और व्यवसायिक कार्यो में सहभागिता के दृष्टिकोण से अपनी प्रतिस्पर्धात्मक दरें (कार्य योग्य दरे) प्रस्तुत करे।

शुभकामनाओं सहित,

प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित
रायपुर

परिशिष्ट–1

निविदा निर्देश एवं मार्गदर्शक सूचनायें

निविदाकार, जिनके द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ के संबंधित जिला कार्यालय का बारदाना परिवहन, रैक अनलोडिंग एवं एच.एंड.टी. एवं जिले के अंदर/बाहर कार्य हेतु निविदा प्रस्तुत की जा रही निम्नानुसार नियमों एवं शर्तों का भली–भांति अध्ययन कर लेवें। यह दिशा निर्देश तथा शर्तें निविदा स्वीकृति की स्थिति में निष्पादित की जाने वाली संविदा के भाग/अंग माने जावेंगेः–

1. निविदाकार द्वारा निविदा ऑनलाईन प्रस्तुत की जावेगी।

1.1 निविदाकर्ता निविदा के परिशिष्ट 2 अनुसार अनिवार्य दस्तावेज की नोटरी से प्रमाणित प्रति स्कैन कर ऑनलाईन संलग्न करें। यह सभी दस्तावेज निविदा के साथ संलग्न नहीं होने पर निविदाकार की निविदा अस्वीकार की जावेगी।

1.2 निविदाकर्ता निविदा के साथ अनिवार्य रूप से निम्नानुसार दस्तावेज तकनीकी बीड में परिशिष्ट–2 अनुसार संलग्न करें :–

1 निर्धारित अमानत राशि छ.ग.राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. संबंधित जिले के बैक खाते कमांक (परिशिष्ट 8 में उल्लेख अनुसार) मे R.T.G.S/N.E.F.T के माध्यम से या सीधे बैंक खाते में जमा करना अनिवार्य है तथा उसकी पावती निविदा के साथ प्रस्तुत करें।

2 निविदाकार के पास स्वयं के कम से कम **पांच ट्रकों** के रजिस्ट्रेशन एवं क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा जारी वाहन का विवरण (vehicle particular) की सत्यापित प्रति जिसमें फिटनेस,टैक्स एवं बीमा की वैद्यता उल्लेखित हो प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

3 भागीदार फर्म होने की स्थिति में भागीदार विलेख की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि। रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसायटी द्वारा जारी जीवित पंजीयन प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

4 निविदाकार यदि कम्पनी है तो उसके पार्षद सीमा नियम पार्षद अन्तर नियमों की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं निगमन का प्रमाण–पत्र। फर्म/कंपनी की ओर से निविदा में हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का अधिकार पत्र अथवा मुख्तयारनामा नोटरी द्वारा सत्यापित।

5. परिवहन कार्य में नियोजित श्रमिकों का पी.एफ. कोड नं. एवं गतवर्ष जमा कराये गये पी.एफ. का प्रमाण–पत्र।

6. **आयकर स्थायी लेखा संख्या प्रपत्र एवं विगत तीन वित्तीय वर्षों 2015–16, 2016–17, एवं 2017–18 की आयकर विवरण की सत्यप्रतिलिपि।**

7. बैंक स्टेटमेंट 01 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 एवं 01 अप्रैल 2018 से 30 जून 2018 तक का।

1.3 निविदाकार को निविदा फार्म भरने के पूर्व संबंधित रेक प्वाइंट में रेक अनलोडिंग करने तथा जिले के अंदर एवं जिले के बाहर निर्देशित स्थान तक परिवहन के लिए आवागमन स्थान तथा स्थानीय परिस्थितियों के संबंध में भली–भांति अवलोकन कर आश्वस्त हो लेना चाहिये, बाद में इस आधार पर स्वीकृति दर में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। निविदाकारों से अपेक्षित है कि निविदा भरने के पूर्व उपरोक्त जानकारी का भी भली–भांति अध्ययन कर लें।

1.4 निविदाकार से अपेक्षित है कि, वह संबंधित मार्ग का भी अध्ययन कर लें। यदि किसी कारणवश नियमित/प्रचलित मार्ग बंद रहता है तो परिवर्तित मार्ग से परिवहन किये जाने पर कोई अतिरिक्त चार्ज का भुगतान नहीं किया जायेगा।

1.5 निविदाकार स्वयं यह सत्यापित एवं सुनिश्चित करेगा कि उसने निविदा प्रपत्र के साथ निविदाकार का इकरारनामा एवं अन्य समस्त दस्तावेज प्राप्त कर लिया है। आवश्यक अभिलेख प्राप्त कर लेने का पूर्ण उत्तरदायित्व निविदाकार का है।

1.6 संग्रहण केन्द्र/जिला कार्यालय पर अपना सम्पर्क कार्यालय और कार्यरत प्रतिनिधि रखना होगा, जिसका नाम, पता हस्ताक्षरित तथा प्रमाणित हस्ताक्षर एवं छायाचित्र अनुबंध के साथ संबंधित/जिला कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा। निविदाकर्ता द्वारा नियोजित प्रत्येक श्रमिक/कर्मचारी को भुगतान करने की जिम्मेदारी उसके स्वयं की होगी तथा उसके भविष्यनिधि उपादान आदि के भुगतान का दायित्व भी निविदाकर्ता का होगा।

1.7 निविदाकार द्वारा तकनीकी बीड में प्रस्तुत दस्तावेज का परीक्षण उपरांत सही पाये जाने पर ही वित्तीय बीड खोला जायेगा।

1.8 वित्तीय बीड में निविदा दरें परिशिष्ट–03 अनुसार भरी जानी आवश्यक होगी।

1.9 निविदा में प्रस्तुत अभिलेखों पर निविदाकर्ता को हस्ताक्षर करना अनिवार्य है।

1.10 अनुभव एवं सत्यनिष्टा संधि सफल निविदाकार द्वारा पृथक से टेण्डर अवार्ड होने के बाद संबंधित जिला कार्यालय में संपादित किया जावेगा।

2. <u>निविदा फार्म भरने के दिशा निर्देश :–</u>

2.1 दरे :–निविदा फार्म में रेल्वे द्वारा निर्धारित समयावधि में रैक अनलोडिंग कर जिले के अंदर एवं जिले के बाहर निर्देशित स्थान तक परिवहन की दरें ऑनलाईन अंको में तथा शब्दों में सुवाच्य, स्पष्ट एवं साफ–साफ लिखा जाना चाहिए। निर्धारित प्रारूप की कंडिका निविदा कार्य से संबंधित न हो उस पर क्रास का चिन्ह लगाया जावें।

2.1 एक से अधिक जिला कार्यालय की निविदा संबंधित जिलों में भरी जा सकती है, परन्तु इस हेतु ट्रक नंबर की पुनरावृत्ति (रिपिटेशन) मान्य नहीं किया जावेगा एक ही ट्रक नंबर को एक से अधिक जिले के लिए निविदा प्रस्तुत करने पर प्रस्तुत निविदा स्वयमेव निरस्त मानी जाएगी। जिसके लिये परिशिष्ठ – 8 अनुसार शपथ पत्र रू. 50.00 के नॉन ज्यूडेशियल स्टॉम्प पेपर पर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

3. <u>अमानत राशि :–</u>

3.1 संबंधित जिलों के लिए अमानत राशि निम्नानुसार हैः–

क्र.	जिले का नाम	अमानत राशि (लाख रूपये में)
1	रायपुर	10.00
2	बलौदाबाजार	10.00
3	महासमुंद	10.00
4	दुर्ग	10.00
5	बालोद	10.00
6	राजनांदगांव	10.00
7	बिलासपुर	10.00
8	जांजगीर	10.00
9	रायगढ़	10.00
10	सुरजपुर	10.00
11	जगदलपुर	10.00

उपरोक्त अमानत राशि छ.ग.राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. संबंधित जिले के बैक खाते क्रमांक (परिशिष्ट 7 में उल्लेख अनुसार) मे R.T.G.S/N.E.F.T. के माध्यम से या सीधे बैंक खाते में जमा करना अनिवार्य है।

3.2 यदि निविदाकार निविदा प्रस्तुत करने के बाद बारदाना गठान एच.एंड.टी. एवं जिले के अंदर/बाहर परिवहन कार्य करने से असमर्थ रहता है, मना करता है या अपना प्रस्ताव से बाहर जाता है या उसकी शर्तों तथा नियमों में संशोधन करता है तो अमानत राशि स्वमेव जप्त हो जावेगी।

3.3 निविदाकार द्वारा निविदा स्वीकृति होने के पश्चात् वांछित मूल अभिलेख एवं निर्धारित सुरक्षानिधि जमा करने में असफल होने की स्थिति में अमानत राशि विपणन संघ के हित में जप्त हो जावेगी। ऐसी जप्ती की सूचना विपणन संघ को पृथक से निविदाकार को देना आवश्यक नहीं होगा।

3.4 असफल निविदाकार की जमा अमानत राशि अथवा डिमांड ड्राफ्ट निर्धारित समिति के द्वारा स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण होने पर वापस कर दी जावेगी। इस अवधि का कोई भी ब्याज विपणन संघ द्वारा देय नहीं होगा।

3.5 सफल निविदाकार द्वारा निविदा के साथ जमा अमानत राशि उसके द्वारा संबंधित इकाई से अनुबंध न करने के फलस्वरूप जप्त होती है तो ऐसे निविदाकार विपणन संघ की किसी भी इकाई के निविदा में 3 वर्ष के लिए भाग नहीं ले सकेगें।

3.6 विगत दो वर्षो में शासकीय/अर्द्वशासकीय एवं अन्य संस्थानों में परिवहन कार्य से प्रतिबंधित किये गये एवं परिवहन कार्य को पूर्ण नही करने के कारण उनकी जगह यदि अन्य परिवहनकर्ता से कार्य पूर्ण कराया गया हो तथा काली सूची में दर्ज परिवहनकर्ता निविदा में भाग नही ले सकेगें। इसी तरह विपणन संघ के बकायादार परिवहनकर्ता निविदा मे भाग नही ले सकेगे, किन्तु बकायादार परिवहनकर्ता द्वारा विपणन संघ की बकाया राशि मय ब्याज के राशि जमा करने के पश्चात् निविदा में भाग ले सकेगे।

4. निविदा फार्म पर हस्ताक्षर :–

4.1 निविदा फार्म पर हस्ताक्षर कर रहा/कर रहे व्यक्तियों के लिए यह प्रमाणित करना अनिवार्य है कि वे किस हैसियत से निविदा फार्म पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। फर्म के भागीदार फर्म होने की स्थिति में निविदा फार्म में समस्त भागीदारों के नाम का उल्लेख किया जाना है एवं निविदा पर समस्त भागीदारों द्वारा हस्ताक्षर किये जावेगें अथवा सभी भागीदारों द्वारा संबंधित भागीदार के पक्ष में जारी अधिकार पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि निविदाकार एक कम्पनी है तो उसके संचालक मंडल द्वारा पारित संकल्प की सत्यप्रतिलिपि के साथ हस्ताक्षर करने वाले संचालक के पक्ष में अधिकार पत्र जिस हैसियत से निविदाकार निविदा में हस्ताक्षर कर रहा हो उसका प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

5. निविदा निष्पादित करना :–

5.1 **सुरक्षा निधी** :– सफल निविदाकार को संबंधित जिले के लिये निम्नानुसार सुरक्षा निधि देनी होगी। सुरक्षानिधि किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी/एफ.डी.आर. के रूप में दिनांक 30.10.2019 तक की वैधता अवधि के लिए प्रस्तुत करनी होगी तथा आवश्यकतानुसार इसमें वृद्वि की जा सकेंगी।

क्र.	जिले का नाम	सुरक्षा निधी (लाख रूपये में)
1	रायपुर	10.00
2	बलौदाबाजार	10.00
3	महासमुंद	10.00
4	दुर्ग	10.00
5	बालोद	10.00
6	राजनांदगांव	10.00
7	बिलासपुर	10.00
8	जांजगीर	10.00
9	रायगढ़	10.00
10	सूरजपुर	10.00
11	जगदलपुर	10.00

5.2 विपणन संघ के इकाई द्वारा जिस निविदाकार की निविदा स्वीकृत की जावेगी उसे विपणन संघ की ओर से सूचना मिलने पर अधिकतम एक सप्ताह की अवधि में निर्धारित सुरक्षा निधी की राशि जमा कर विपणन संघ द्वारा निर्धारित संविदा 100.00 रूपये (एक सौ रूपये) के नॉन ज्यूडिशियल स्टेम्प पर जिला कार्यालय में इकरारनामा निष्पादित करना आवश्यक होगा। अनुबंध का प्रारूप निविदा दस्तावेज में संलग्न है।

6 **<u>विविध :–</u>**

6.1 कार्यशील दूरी के आधार पर एल–1 निर्धारण की कार्यवाही ।

- प्रत्येक जिलें में प्रथमतः कार्यशील दूरी का निर्धारण किया जावेगा। इस निर्धारण का आधार उस जिलें में विगत तीन वर्षो में प्रत्येक दूरी में कराये गये परिवहन मात्रा के औसत के आधार पर अधिकतम परिवहन मात्रा को आधार मानकर किया जावेगा। (उदाहरण स्वरूप 0–10 कि.मी में 200 गठान, 0–25 कि.मी में 300 गठान, 0–50 कि.मी में 400 गठान, 0–75 में 350 गठान, 0–100 कि.मी में 150 गठान का औसत परिवहन किया गया है, तो कार्यशील दूरी में 0–50 कि.मी प्रथम कार्य ील दूरी, 0–75 कि.मी द्वितीय, 0–25 कि.मी तृतीय, 0–10 कि.मी चतुर्थ एवं 0–100 कि.मी पांचवी कार्यशील दूरी होगी)
- निविदाकार द्वारा प्रस्तुत निविदा दरों में अधिकतम कार्यशील दूरी में न्यूनतम दर को आधार मानकर एल–1 का निर्धारण किया जावेगा।
- एल–1 निविदाकार को निविदा में प्राप्त अन्य दूरीयो हेतु निविदा में प्राप्त न्युनतम दर पर कार्य करने हेतु बाध्यता होगी।
- निविदाकार द्वारा निविदा में जो दर प्रस्तुत की जावेगी, उक्त दर के संबंध में निविदाकार को औचित्य सहित कारण (price justification) जिला स्तरीय कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसका जिला स्तरीय कमेटी द्वारा परिक्षण कर मान्य/अमान्य किया जावेगा।
- यदि सफल निविदाकर्ता द्वारा न्यूनतम दर पर परिवहन का कार्य नहीं किया जाता है तो निविदाकर्ता द्वारा जमा अमानत राशि राजसात की जावेगी एवं तीन वर्ष हेतु काली सूची में दर्ज किया जावेगा एवं कार्य की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए द्वितीय न्यूनतम निविदाकर्ता को प्रथम न्यूनतम प्राप्त दर पर कार्य करने के लिए प्रस्ताव दिया जावेगा यदि द्वितीय निविदाकार द्वारा भी असहमति व्यक्त की जाती है, तो अन्य निविदकारों से उक्त दर पर कार्य करने हेतु चर्चा की जावेगी।

6.2 किसी भी निविदा को आंशिक अथवा पूर्ण रूप से स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार निर्धारित समिति/प्रबंध संचालक, छ0ग0राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, रायपुर को होगा।

6.3 निविदाकार को निविदा में कोई शर्त सम्मिलित नहीं करनी है, क्योंकि सशर्त निविदा विचार योग्य नहीं होगा। एक बार निविदा खोलने के पश्चात् निविदाकार के द्वारा दर संबंधी प्रस्तुत की जाने वाली किसी भी आवेदन पर विचार मान्य नहीं होगा।

6.4 निविदाकार द्वारा निविदा प्रस्तुत करने का यह अभिप्राय माना जावेगा कि निविदाकार ने निविदा की सभी शर्तों एवं कार्य पद्धति कार्य की महत्ता आदि समझ ली है और उन्हें स्वीकार कर लिया है।

6.5 **निविदाकार द्वारा बारदाना रैक हैण्डलिंग परिवहन हेतु अनुसूची की दर के आधार पर वृद्धि/कमी के प्रतिशत में दरें प्रस्तुत की जाये। लोडिंग/अनलोडिंग की दरे पृथक से प्रति गठान में अंकित की जावे ।** उपरोक्त दरों में सभी प्रकार के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर शामिल होगें। आयकर एवं अन्य करों की स्त्रोत पर कटौती प्रचलित नियमानुसार की जाएगी। यदि सफल निविदाकार द्वारा किसी भी प्रकार के करों अथवा अन्य वैधानिक उत्तरदायित्वों के भुगतान में अथवा पालन में लापरवाही बरती जाती है तो विपणन संघ को अधिकार होगा कि ऐसे सभी उत्तरदायित्वों के पेटे भुगतान योग्य राशि की वसूली उसके द्वारा जमा अमानत राशि से की जावेगी।

6.6 भारत सरकार, राज्य शासन एवं स्थानीय निकाय द्वारा समय–समय पर लगाये गये सभी वैधानिक एवं प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष कर निविदाकार द्वारा देय होगा जिसका समयानुसार समायोजन किया जावेगा।

6.7 निविदा पर विचार प्रस्तावित प्रतिशत के पश्चात् प्राप्त कुल दर पर किया जावेगा, ना कि परिवहन और लोडिंग/अनलोडिंग के पृथक–पृथक दर पर।

6.8 निविदाकार द्वारा पूर्व में जमा की गयी अमानत राशि अथवा किसी प्रकार की राशि वर्तमान निविदा के लिए मान्य नहीं होगी तथा जमा की गई अमानत राशि एवं सुरक्षानिधि पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जावेगा।

6.9 इकरारनामा निष्पादित करते समय सफल निविदाकर्ता को सुरक्षानिधि के रूप में निर्धारित राशि निर्धारित अवधि के लिए तथा निर्धारित प्रारूप में बैंक गारंटी अथवा एफ.डी.आर. संबंधित जिले के पक्ष में प्रस्तुत करना होगा, जिस पर विपणन संघ द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।

6.10 सफल निविदाकार को संबंधित इकाई से लिखित आदेश सूचना प्राप्त होने के पश्चात् बताये गये कार्य को समय सीमा में पूर्ण करना आवश्यक होगा। रैक के मामलों में अनुबंधित एच.एण्ड.टी परिवहनकर्ता निर्धारित रेल शीर्षो (रैक प्वाइंट) में बारदाना गठान अनलोड करने तथा रेल्वे साईडिंग खाली करने रेल्वे के निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के लिए उत्तरदायी होगा। एच.एण्ड.टी परिवहनकर्ता का यह भी दायित्व होगा कि वह रेल्वे से सम्पर्क कर रेल्वे क्लीरेंस प्राप्त कर प्रस्तुत करेगा। किसी प्रकार के डेमरेज/बारफेज की जवाबदारी संबंधित एच.एण्ड.टी परिवहनकर्ता की होगी।

6.11 सफल निविदाकार को अनुबंध के अनुसार संबंधित परिवहन इत्यादि कार्य के देयक प्रत्येक सप्ताह में संबंधित जिला विपणन अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।

6.12 परिवहनकर्ता के द्वारा स्वयं के स्वयं ट्रकों की जानकारी के अतिरिक्त जो ट्रकें उक्त कार्य हेतु संबंद्व की गई है उनकी सूची इकाई प्रमुख अथवा जिला विपणन अधिकारी जिसके क्षेत्र में कार्य किया जाना है, उसे लिखित में अनुबंध के समय प्रस्तुत करना होगा तथा उन्ही ट्रकों से परिवहन कार्य कराया जावेगा।

7 संविदा की अवधि

7.1 निविदा जारी दिनांक से 1 वर्ष तक वैध रहेगी।

7.2 जिस परिवहनकर्ता की निविदा स्वीकृत की जाती है, उसे स्वीकृत दरों पर निविदा स्वीकृति दिनांक से 30.10.2019 तक के लिये परिवहन करने के लिये अनुबंध करना होगा। निष्पादित किये गये निर्धारित अनुबंध की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात् यदि विपणन संघ चाहे तो उसी स्वीकृत दर पर कार्य कराने हेतु तीन माह के खण्ड में अधिकतम एक वर्ष तक के लिये वृद्वि की जा सकेगी। इसे मानने के लिये परिवहनकर्ता बाध्य होगा।

7.3 संविदा की अवधि में कोई निश्चित कार्य देने की गारंटी विपणन संघ की नहीं रहेगी।

8 कार्मिक एवं वैधानिक उत्तरदायित्व :–

8.1 बारदाना गठान उतराई छल्ली लगाने के लिए क्रमशः उतराई करने वाले, तौलाई करने वाले एवं छल्ली लगाने वाले श्रमिकों/कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या में व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व परिवहनकर्ता का होगा।

8.2 यह आवश्यक होगा कि अनुबंध करने के पूर्व सफल निविदाकार अथवा उनके द्वारा नियुक्त श्रमिक ठेकेदार की उपरोक्त सभी अधिनियमों के अधीन अनुज्ञप्ति पत्र लेकर संबंधित जिला कार्यालय में देना होगा, कार्य समाप्त होने पर सफल निविदाकार को संबंधित जिले में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अंतर्गत नो–ड्यूस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। उसके उपरान्त ही अमानत राशि का भुगतान किया जावेगा। यदि कार्य समाप्ति के पूर्व सफल निविदाकार द्वारा उपरोक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो अमानत राशि की बैंक गारंटी/एफ.डी.आर. राजसात की जायेगी।

8.3 उक्त समस्त श्रम अधिनियमों के अधीन एच.एण्ड.टी. परिवहनकर्ता समस्त आवश्यक अभिलेख संधारित करेगा एवं आवश्यक प्रपत्र/विवरण संबंधित जिला विपणन अधिकारियों को समय पर प्रस्तुत करेगा और प्रस्तुत न करने के परिणामस्वरूप उद्भूत हुए समस्त दायित्वों के लिए एच.एण्ड.टी.परिवहनकर्ता स्वयं उत्तरदायी होगा।

8.4 उक्त समस्त श्रम अधिनियमों के अधीन एच.एण्ड.टी. परिवहनकर्ता का दायित्व होगा, कि वह उसके द्वारा नियोजित समस्त श्रमिकों/कर्मचारियों के लिए नियमानुसार आवश्यक समस्त सुविधाएं हित लाभ एवं व्यवस्था उपलब्ध करावें। इस संबंध में विपणन संघ कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

8.5 परिवहनकर्ता उसके द्वारा नियोजित समस्त श्रमिकों/कर्मचारियों के नाम, पता एवं फोटो विपणन संघ के जिला विपणन अधिकारी को अनुबंध के साथ कार्य प्रारंभ करने के पूर्व प्रस्तुत करें। यदि उसमें कोई परिवर्तन होता है, तो वह तत्काल जिला विपणन अधिकारी को सूचित करेगा एवं उनके द्वारा किये गये कार्य एवं व्यवहार के लिए वह उत्तरदायी माना जावेगा।

8.6 एच.एण्ड.टी. परिवहन कार्य के दौरान घटित किसी दुर्घटना का उत्तरदायित्व स्वयं निविदाकर्ता का होगा। श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 अथवा कर्मचारी भविष्यनिधि अधिनियम 1952 के अधीन समस्त राशियों का भुगतान करने का उत्तरदायित्व एच.एण्ड.टी. परिवहनकर्ता का होगा।

8.7 यदि एच.एण्ड.टी. परिवहनकर्ता अथवा उसके द्वारा नियुक्त कर्मचारी अथवा ठेकेदार द्वारा किये गये किसी कृत्य की कोई जवाबदारी अथवा कोई भार विपणन संघ को वहन करना पड़ता है तो उस राशि को एच.एण्ड.टी. परिवहनकर्ता की जमा प्रतिभूति राशि में से अथवा उसके बिलों में से वसूल किया जायेगा।

8.8 परिवहन के दौरान आने वाले नाकों, पुलों आदि पर टोल टैक्स व अन्य शुल्क प्रभार तथा समय–समय पर अधिरोपित जो भी देय हो, एच.एण्ड.टी. परिवहनकर्ता को स्वयं वहन करना होगा, विपणन संघ द्वारा उनका कोई भुगतान नहीं किया जायेगा, आशय यह है कि स्वीकृत दर से अतिरिक्त अन्य कोई भुगतान विपणन संघ द्वारा देय नहीं होगा।

9. <u>विवादों का निराकरण</u> –

9.1 इस निविदा से संबंधित तथा अनुबंध से संबंधित किसी भी विषय, शर्त एवं किसी भी शर्त की व्याख्या आदि से संबंधित, इस अनुबंध के पूर्व इस अनुबंध एवं निविदा के पालन में समय अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न हुए किसी भी विवाद को किसी पक्ष द्वारा एक मात्र आर्बीट्रेटर को उस विवाद के निराकरण के लिये संदर्भित किया जावेगा। यह आर्बीट्रेटर प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य सहकरी विपणन संघ मर्या., मुख्यालय रायपुर अथवा उनके द्वारा मनोनित व्यक्ति होगें और उनके द्वारा दिया गया निर्णय/एवार्ड दोनों पक्षों को बंधनकारी एवं मान्य होगा।

9.2 आर्बीट्रेशन द्वारा विवादों को निपटाने के लिये की गई कार्यवाही, आर्बीट्रेशन कॉन्सिल एक्ट, 1996 (नं. 26 ऑफ 1996) के अंतर्गत होगी और ऐसे समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र रापयुर न्यायालय होगा।

10. <u>व्यवहार एवं आचरण</u> –

परिवहनकर्ता एवं उसके द्वारा नियोजित समस्त कर्मचारी/श्रमिक विपणन संघ के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों से सौहार्द्रपूर्ण तरीके से सामजस्य स्थापित विवेक रखते हुए परिवहन कार्यो के सुचारू संपादन में भी आवश्यक सहयोग प्रदान करेगें। परिवहनकर्ता की अथवा उसके कर्मचारियों की अथवा उसके कर्मचारियों/अधिकारियों की विपणन संघ के अधिकारियों/कर्मचारियों से झगडालु दबाव की मनोवृत्ति/प्रवृत्ति अथवा अभद्र अशोभनीय व्यवहार प्रदर्शित होने पर विपणन संघ के जिला अधिकारी/संबंधित अधिकारी की रिपोर्ट पर विपणन संघ के प्रबंध संचालक को यह अधिकार होगा कि वे उसके अनुबंध को तत्काल समाप्त कर दे एवं उसके इस प्रकार की कृत्यों के लिये आगामी निविदाओं में उस कार्य विशेष के लिये किसी भी हैसियत से भाग से वंचित कर दे एवं अन्य क्षतिपूर्ति का निर्धारण कर वसूली निर्धारित करे।

11. निविदा के संबंध में यदि किसी भी प्रकार का संशोधन/शुद्धि पत्र जारी किया जाता है वह निविदा का भाग माना जावेगा जिसका प्रकाशन समाचार पत्रों में एवं विपणन संघ की वेबसाईट में अपलोड किया जावेगा, तथा संशोधन/शुद्धि पत्र निविदा भरने की अंतिम तिथी के एक सप्ताह के पूर्व तक जारी किया जा सकेगा।

परिशिष्ठ–2

भाग – "क"

(तकनीकी बीड हेतु)

निविदाकार का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण

प्रति,

जिला विपणन अधिकारी,
.....छ.ग.

महोदय,

1. हमारा/मेरा अन्य विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	विवरण	
1.	निविदाकार का पूरा नाम व पता	
2.	दूरभाष क्रमांक कार्यालय निवास	
3.	निविदाकार की फर्म का स्वरूप(फर्म/कंपनी/स्वामित्व/हिन्दू अविभाजित परिवार)	
4.	मुखिया (कर्ता) का नाम व पता	
5.	यदि भागीदारी फर्म है तो समस्त भागीदारों के नाम/पते (भागीदारी विलेख की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)	
6.	फर्म की स्थापना, पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक (प्रमाणित प्रति संलग्न करें)	
7. (क)	वित्तीय वर्ष 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18 की आयकर विवरणी की प्रमाणित प्रति संलग्न करें (प्रति संलग्न करें)	
(ख)	आयकर स्थाई लेखा संख्या(पेनकार्ड) (प्रति संलग्न करें)	
8.	बैंक का नाम शाखा सहित (खाता क्रमांक लिखे)	
9.	स्वयं/फर्म/कंपनी के नाम कितने भारीमाल वाहन(पंजीयन एवं vehicle particular की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)	वाहन का पंजीयन क्रमांक

10.	वर्तमान में किस शासकीय/अर्द्धशासकीय/अन्य संस्था में परिवहन कार्य कर रहें, विवरण दें	
11.	विगत दो वर्ष में शासकीय/अर्द्धशासकीय एवं अन्य संस्था द्वारा परिवहन कार्य से प्रतिबंधित/परिवहन कार्य को पूर्ण नही करने एवं कालीसूची में दर्ज किया गया है, अथवा नही (हॉ/नही) में लिखे	
12.	निर्धारित जमा की गई अमानत राशि का विवरण	रूपये कुल ..... R.T.G.S./N.E.F.T. (U.T.R no) ..... .दिनांक..... बैंक का नाम
13.	इस वित्तीय वर्ष के लिए विपणन संघ की अगर किसी अन्य निविदा में भाग लिया हो तो उसका विवरण	
14.	पूर्व वर्षों में अगर विपणन संघ का कोई कार्य किया गया हो तो उसका विवरण	
15.	परिवहन कार्य में नियोजित श्रमिकों का पी. एफ. कोड नं. एवं गतवर्ष जमा कराये गये पी.एफ. का प्रमाण–पत्र संलग्न करें।	
16.	मेरी/हमारी गत वर्ष में अमानत/प्रतिभूति राशि विपणन संघ के परिवहन निविदा अंतर्गत राजसात की गई है (हां तो विवरण दें)	
17.	बैंक स्टेटमेंट (01 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2018 एवं 01 अप्रैल 2018 से 30 जून 2018 तक) (प्रति संलग्न करें)	
18.	इस दस्तावेज के साथ संलग्न अभिलेखों की सूची	

2. हमारी/मेरी निविदा फार्म में उल्लेखित की गई निविदा परिशिष्ट 1 की कंडिका 7 में वर्णित स्थिति अनुसार वैध रहेगी, जिसे मानने के लिए हम/मैं बाध्य रहेगें/रहूॅगा/रहूॅगी।
3. यदि विपणन संघ द्वारा हमें/मुझे बारदाना गठान का रैक अनलोडिंग एव परिवहन कार्य सौंपा जाता है तो हम/मैं निर्धारित अवधि में नियमानुसार प्रतिभूति राशि एवं बैंक गारंटी जमा करके अनुबंध करने के लिये सहमत हैं/हूॅ।
4. हम/मैं इसके द्वारा घोषित करते हैं/करता हूॅ कि निविदा फार्म तथा उसके साथ संलग्न परिशिष्टों में की गई प्रविष्टियां मेरे विश्वास एवं ज्ञान में सही है।

दिनांक .....

स्थान .....

नोट :– इसमें अपेक्षित विवरण स्पष्ट रूप से भरे एवं संपूर्ण कॉलम में प्रविष्टि अतिआवश्यक है, अन्यथा अपेक्षित विवरण के अभाव में निविदा निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।

परिशिष्ठ–3

भाग–''ख''
(वित्तीय बीड हेतु)

बारदाना गठान रैक हैण्डलिग एवं जिले के अंदर/बाहर बारदाना परिवहन हेतु निविदा दरे

वित्तीय बीड का प्रारूप

खरीफ विपणन वर्ष 2018–19 में बारदाना परिवहन कार्य हेतु विपणन संघ द्वारा अनुसूची की दर (SOR) तैयार किया गया है। स्लैबवार तैयार किये गये अनुसूची की दर को ध्यान में रखते हुए निविदाकार द्वारा अनुसूची की दर पर कमी/वृद्धि के आधार पर प्रतिशत में अपनी दरें प्रस्तावित की जानी है। अनुसूची की दर में लोडिंग/अनलोडिंग शामिल नही है। अतः लोडिंग एवं अनलोडिंग की दरे पृथक से प्रति गठान के मान से अंकित करें।

निविदाकार द्वारा परिवहन हेतु अनुसूची की दर के आधार पर वृद्धि/कमी के प्रतिशत में अपनी दरे प्रस्तावित की जाये। निविदा पर विचार प्रस्तावित प्रतिशत के पश्चात् प्राप्त कुल दर पर किया जायेगा, न की परिवहन और लोडिग/अनलोडिग की पृथक–पृथक दर पर।

निम्नानुसार तालिका मे कमांक 4 हेतु जो दरें प्रस्तावित की जावेंगी उन दरों में वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत बारदाना परिवहन पर वस्तु एवं सेवा कर देय है। तदानुसार बारदाना परिवहन की प्रस्तावित दरों में कर सहित दरें प्रस्तावित की जावे।

1. कार्यालय का नाम जिसके लिए निविदा दिया जा रहा है :–	
2. संग्रहण केन्द्र/इकाई का नाम जिसके लिए निविदा भरी जा रही है।	
3. निविदाकार का नाम, पूरा पता ई–मेल, दूरभाष नंबर	

क्र.	स्लैब	विपणन संघ द्वारा निर्धारित अनुसूची की दर (SOR) मात्रा 40 गठान परिवहन के आधार पर दर (बारदाना गठान परिवहन)
1	10 कि.मी. तक के लिए परिवहन दर	5.75
2	11 से 25 प्रति गठान प्रति कि.मी.	3.30
3	26 से 50 प्रति गठान प्रति कि.मी.	2.35
4	51 से 75 प्रति गठान प्रति कि.मी.	1.91
5	76 से 100 प्रति गठान प्रति कि.मी.	1.53
6	101 से 200 प्रति गठान प्रति कि.मी.	1.15
7	201 से 300 प्रति गठान प्रति कि.मी.	1.03
8	301 से 400 प्रति गठान प्रति कि.मी.	1.00
9	401 कि.मी. से अधिक दूरी के लिये प्रति गठान प्रति कि.मी.	0.98

4- **निविदा दर**

क्र.	सेवा कार्य का विवरण	वृद्धि/कमी का प्रतिशत
1	जूट बारदाना गठान परिवहन कार्य हेतु निविदाकार द्वारा अनुसूची की दर के परिपेक्ष्य में प्रस्तावित वृद्धि/कमी का प्रतिशत (प्रति गठान प्रति कि.मी. प्रति)	
2	लोडिंग/अनलोडिंग की दर (प्रति गठान)	

- निविदाकार द्वारा लोडिग/अनलोडिग की दरे पृथक से अंकित की जावें।
- उपरोक्तानुसार कंडिका कमांक **4 निविदा दर** के कॉलम कमांक 1 में जूट/बारदाना गठान परिवहन कार्य हेतु निविदाकार द्वारा अनुसूची की दर के परिपेक्ष्य में प्रस्तावित प्रतिशत के पश्चात् प्राप्त कुल दर के आधार पर एल–1 का चयन किया जावेगा। लोडिंग/अनलोडिंग की दर को एल–1 की गणना में शामिल नहीं किया जावेगा।
- अनुसूची की दर के आधार पर निविदाकार द्वारा प्रस्तावित कमी/वृद्धि के प्रतिशत अनुसार निर्धारित स्लैब के अंतर्गत अधिकतम दूरी पर वास्तविक भुगतान की गणना हेतु excel calculater sheet पृथक से ऑनलाईन ई–प्रोक्युरमेंट पोर्टल पर उपलब्ध है। निविदाकारो से अनुरोध है कि दर प्रस्तावित करने के पूर्व ऑनलाईन ई–प्रोक्युरमेंट पर उपलब्ध excel calculater sheet के माध्यम से वास्तविक भुगतान की गणना का अवलोकन अवश्य करे।

परिशिष्ठ–4

1. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, रायपुर द्वारा वांछित रेल्वे रैक पर रैक से बारदाना गठान रैक हेंडलिंग (एच.एण्ड.टी.) जिले के अंदर/बाहर परिवहन (अनलोड करने तथा परिवहन करने के कार्य हेतु) प्रकाशित निविदा सूचना को पढ़कर हमने/मैंने जिला कार्यालय में निर्धारित राशि जमा कर निर्धारित फार्म क्रय किया है, हमने/मैंने निविदा के आमंत्रण में दिये गये निर्देशों/निविदा/संविदा शर्तों, नियमों तथा इसके परिशिष्ट में दिये गये विवरण को भली भांति पढ़ लिया है, उनको समझ लिया है तथा हम/मैं उनके पालन के लिए सहमत हैं/हूँ।
2. हम/मैं रैक प्वाइंट से अनलोडिंग एवं परिवहन कार्य के लिये जिले के अंदर एवं जिले के बाहर निर्देशित स्थान तक एच.एण्ड.टी. एवं परिवहन कार्य निम्नानुसार दरों पर कार्य करना स्वीकार करते/करता हूँ।
3. मै/हमारे द्वारा विपणन संघ द्वारा परिवहन व्यवस्था को सुदृण रखने के लिये लागू की जाने वाली व्यवस्था/प्रावधान को पालन करने के लिये बंधनकारी होगे तथा समय–समय पर संघ द्वारा की जा रही व्यवस्था को मानने के लिये सहमत है/हूं।
4. उपरोक्त दर आपकी निविदा शर्तों की समस्त कंडिकाओं को स्वीकार करते हुए दी गई है। कार्यादेश प्राप्त होते ही तीव्रता से एच. एण्ड. टी. एवं परिवहन का कार्य कर करूंगा, एवं आवश्यकतानुसार बाहर से भी ट्रकें उपलब्ध कराकर कार्य समय–सीमा में संपन्न करूंगा। यदि लिखित एवं मौखिक सूचना मिलने पर समय सीमा के भीतर एच.एण्ड.टी. परिवहन का कार्य नहीं करता हूँ तो विपणन संघ नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा। रैक अनलोडिंग में लगने वाले डेमरेज/बारफेज की भी मैं स्वतः जवाबदार रहूँगा।
5. रैक अनलोडिंग एवं परिवहन कार्य के संबंध में सभी विवादों और इकरारनामा में वांछित किसी भी शर्तों के संबंध में मतभेद उत्पन्न होने पर प्रकरण प्रबंध संचालक, छ0ग0राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, रायपुर को प्रस्तुत किया जावेगा। प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम होगा तथा दोनों पक्षकारों को मान्य होगा।
6. मैं/हमारे द्वारा तकनीकी एवं वित्तीय बीड के लिये प्रस्तुत किये जा रहे दस्तावेज/सहपत्र के लिये संलग्न किये गये दस्तावेज हमारे ज्ञान/संज्ञान के अनुसार समस्त दस्तावेज पूर्ण रूप से वैध एवं प्रमाणिक है। इनकी वैधता/सत्यता के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद के लिये मैं/हम पूर्णरूप से जवाबदार होंगे। मै/हमारे द्वारा प्रस्तुत वित्तीय बीड स्वीकार होने पर हमारे द्वारा तकनीकी बीड में ऑनलाईन प्रस्तुत किये गये समस्त प्रमाणपत्र, दस्तावेज की मूल प्रति तथा स्वप्रमाणित प्रति संघ द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करूंगा।

उपरोक्तानुसार घोषणा पत्र निविदाकार को अपने फर्म के लेटर हेड पर निविदा के तकनीकी बीड के अंतर्गत वांछित दस्तावेजो के साथ ऑनलाईन संलग्न करना अनिवार्य है।

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं सील

परिशिष्ठ–5

खरीफ विपणन वर्ष 2018–19 में जिलेवार रेक प्वाइंट की सूची

क्र.	जिले का नाम	रेक प्वाइंट का नाम
1.	2	3
1	रायपुर	आर.एस.डी.कांपा
		तिल्दा
2	बलौदा बाजार	भाटापारा
3	महासमुंद	बेलसोंडा
4	दुर्ग	दुर्ग
5	बालोद	बालोद
6	राजनांदगांव	राजनांदगांव
7	बिलासपुर	बिलासपुर
8	जांजगीर	अकलतरा
9	रायगढ़	रायगढ़
10	सुरजपुर	विश्रामपुर
11	जगदलपुर	जगदलपुर

परिशिष्ठ–6

अनुबंध

यह अनुबंध दिनांक..... को छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य की शीर्ष सहकारी संस्था है, जिसका मुख्यालय सी.बी.डी.कमर्शियल कॉम्पलेक्स टॉवर ''सी'' 6 फ्लोर सेक्टर 21 मुख्यालय अटल नगर रायपुर (छ.ग) 492002 में है, जिसे आगे विपणन संघ के नाम से संबोधित किया गया है, कि ओर से पक्ष क्रमांक 01, जिला विपणन अधिकारी..... अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, रायपुर तथा पक्ष क्रमांक 02, मेसर्स..... .....की ओर से श्री/सुश्री ..... वल्द..... जिला..... ..... के निवासी है, जिसे आगे एच.एण्ड.टी. एवं बारदाना परिवहनकर्ता के नाम से संबोधित किया गया है, के बीच निष्पादित किया गया है।

3. यह कि, एच.एण्ड.टी. एवं बारदाना परिवहनकर्ता द्वारा विपणन संघ के ..... केन्द्र से खरीफ वर्ष 2017–18 में निविदा स्वीकृति दिनांक से दिनांक ..... तक की अवधि को मेसर्स .... जिला विपणन अधिकारी ..... के रैक प्वाइंट में बारदाना गठान रैक अनलोडिंग एवं परिवहन तथा जिले के अंदर एवं जिले के बाहर निर्देशित स्थान तक बारदाना परिवहन हेतु इस इकरारनामा में दर्शायी गयी दरों पर स्वीकार किया गया हैं।

क.	सेवा कार्य का विवरण	वृद्धि/कमी का प्रतिशत
1	जूट बारदाना गठान परिवहन कार्य हेतु निविदाकार द्वारा अनुसूची की दर के परिपेक्ष्य में प्रस्तावित वृद्धि/कमी का प्रतिशत (प्रति गठान प्रति कि.मी. प्रति)	
2	लोडिंग/अनलोडिंग की दर (प्रति गठान)	

1. यह कि परिवहनकर्ता द्वारा विपणन संघ के जिले के अंदर एवं जिले के बाहर नियत स्थान तक पहुंचाने का कार्य हेतु निम्नानुसार दर्शायी गयी दरों पर किया जावेगा और मैं/हम यह कार्य विपणन संघ की शर्तों पर करने हेतु पूर्ण सहमत है।
2. इस इकरारनामा के साथ पक्ष कमांक 02 द्वारा जमा की गई अमानत राशि पर कोई ब्याज देय नहीं है।
3. यह कि पक्ष 02 को पक्ष 01 के जिला कार्यालय/इकाई या उसके द्वारा अधिकृत कर्मचारी की मौखिक या लिखित सूचना प्राप्त होने पर तत्काल बारदाना गठान का परिवहन कर रेल्वे के निर्धारित समय–सीमा के अंदर रैक अनलोडिंग करनी होगी। इसके लिए आवश्यकता अनुसार पर्याप्त संख्या में ट्रक, मजदूर, हम्माल की व्यवस्था पक्ष 02 की होगी। परिवहन में हुए विलंब के कारण होने वाले डेमरेज/नुकसान की संपूर्ण जवाबदारी पक्ष 02 की होगी। समय पर ट्रक एवं मजदूर नहीं लगने पर संघ को अधिकार होगा कि, बाजार से, कार्य किसी भी दर पर करा लेवें। यदि स्वीकृत से अधिक दर पर भुगतान करना पड़ता है तो अधिक दर के कारण हुई हानि (क्षति) की भरपाई पक्ष 02 तीन दिवस के अंदर नगद जमा करेगा, अन्यथा विपणन संघ को अधिकार होगा कि वह पक्ष 02 के परिवहन बिलों से कटौती करें अथवा उसकी जमा अमानत की राशि से इस राशि को वसूल करें।
4. ट्रक के साथ बारदाना की लोडिंग एवं अनलोडिंग के लिए आवश्यक संख्या में हमालों एवं मजदूरों के प्रावधान (व्यवस्था) करने की जिम्मेदारी पक्ष 02 की होगी, हम्मालों का भुगतान पक्ष 02 द्वारा किया जायेगा। विपणन संघ किसी भी प्रकार का हमाली भुगतान नहीं करेगा। इस हेतु लागू श्रम, भविष्य निधि एवं संबंधित अन्य विधियों, नियमों, उपनियमों के पालन का उत्तरदायित्व पक्ष 02 का होगा।
5. यदि किसी स्थान पर परिवहकर्ता द्वारा लोडिंग एवं अनलोडिंग आदि का भुगतान नहीं किया जाता और विपणन संघ को लोडिंग/अनलोडिंग प्रभार का भुगतान करना पड़ता है तो विपणन संघ द्वारा किये गये भुगतान से तीन गुना अधिक राशि उसके बिल में से काटी जायेगी।
6. पक्ष 02 द्वारा केवल वही ट्रक बारदाना ढुलाई हेतु लगायें जावेगें जो सही और अच्छी हालत में हो।

आर.टी.ओ. से फिटनेस सहित समस्त वैधानिक पूर्ति पक्ष 02 का उत्तरदायित्व होगा। पक्ष 02 का यह उत्तरदायित्व रहेगा कि संघ द्वारा बारदाना उसके ट्रक में लोड (भरा) दिया जाता है, सही व सुरक्षित हालत में गन्तव्य स्थान तक पहुंचाकर रैक लोडिंग/अनलोडिंग करने के लिए उत्तरदायी होगा।

7. यदि पक्ष 02 के द्वारा उसके मूल ट्रक में परिवहन के लिए लोड किया गया संघ का बारदाना समय के अंदर गन्तव्य स्थान पर नहीं पहुंचाया जाता है या रखा जाता है या सही हालत में नहीं पहुंचता है, अथवा अन्य प्रकार की हानि होती है तो वह हानि पक्ष 02 द्वारा विपणन संघ को तीन दिवस के अंदर देय होगी। विपणन संघ को यह अधिकार होगा कि वह हानि की राशि वसूली अमानत राशि/सुरक्षा निधि की राशि में से अथवा पक्ष 02 के लंबित बिलों से अथवा पक्ष 02 को उक्त हानि की राशि विपणन संघ में जमा करना अनिवार्य होगा। लोडेड ट्रक का इंश्योरेंस कराने की जिम्मेदारी पक्ष 02 की होगी।
8. पक्ष 01 द्वारा पक्ष 02 को प्रदत्त स्कंध पक्ष 01 द्वारा निर्धारित स्थान एवं अधिकृत प्रतिनिधी को ही पक्ष 02 द्वारा देना होगा और सील व हस्ताक्षर सहित अधिकृत पावती लेनी होगी।
9. परिवहन के दौरान किसी भी कमी या क्षति हेतु पक्ष 02 ही उत्तरदायी होगा और उसकी अमानत राशि या देय परिवहन देयकों से यह राशि पक्ष 01 वसूल कर लेगा।
10. परिवहन के लिए लगाये गये ट्रक सभी प्रकार से मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार सही हालत में होना चाहिए। उसकी बीमा होना चाहिए और ट्रक पब्लिक कैरियर लाईसेन्स होना एवं रोड टैक्स, गुड्स टैक्स, टोल टैक्स इत्यादि पटाये जाने की जिम्मेदारी एच.एण्ड.टी. परिवहनकर्ता की होगी। यदि मोटर व्हीकल एक्ट की परिवहन अथवा मोटर संबंधित किसी प्रचलित कानून का उल्लंघन होता है तो उक्त के लिए एच.एण्ड.टी. परिवहनकर्ता मालिक एवं ठेकेदार जिम्मेदार होगा, साथ ही इससे लोड बारदाना की हानि होती है या गन्तव्य स्थान तक पहुंचने में विलंब होता है, तो उसकी जिम्मेदारी एच.एण्ड.टी. परिवहनकर्ता की होगी।
11. पक्ष 02 को परिवहन बिल के प्रति सप्ताह प्रस्तुत करना होगा। बारदाना डिलेव्हरी देने के प्रमाण में जिस केन्द्र से जहां माल भेजा गया हो, वहा पर नियुक्त पक्ष 01 के अभिकर्ता विपणन संघ के अधिकृत गोदाम कीपर हस्ताक्षरित किया गया ही बिल के साथ संलग्न करके देना होगा। एच. एण्ड.टी. परिवहनकर्ता बारदाना गन्तव्य स्थान पहुंचा देने के पश्चात् वहां के अधिकृत गोदाम कीपर या कोई अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर कराकर लावेगा। इस डिलेव्हरी मेमो पर बारदाना सुरक्षित हालत में डिलेव्हरी कर देने का प्रमाण भी अंकित किया जावेगा, यह जिम्मेदारी पक्ष 02 की होगी। भेजने वाले इकाई के द्वारा ही परिवहन बिल का भुगतान किया जावेगा
12. परिवहनकर्त्ता को रेक प्वाईंट से गन्तव्य स्थान तक का दूरी प्रमाण पत्र लोक निर्माण विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। तत्पश्चात् ही परिवहन देयक का भुगतान किया जावेगा।
13. एच.एण्ड.टी. एवं बारदाना परिवहनकर्ता को सौंपे गये बारदाना का परिवहन कम दूरी वाले मार्ग से ही करेगा, अत्यावश्यक परिस्थिति में बारदाना का परिवहन अधिक दूरी वाले मार्ग से वह तभी कर सकता है, जबकि इस हेतु उसने छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, रायपुर से लिखित अनुमति प्राप्त कर ली हो।
14. यह इकरारनामा दिनांक ..... तक वैध होगा। इस अवधि में कार्य नहीं होता अथवा नये निविदा नहीं होता, तो वर्तमान इकरारनामा की अवधि को पक्ष क्रमांक 1 द्वारा तीन–तीन माह के लिए (अधिकतम एक वर्ष की अवधि) बढ़ाई जा सकेगी।
15. पक्ष 02 द्वारा जो ट्रक परिवहन कार्य में लगाये जावेगें उसकी सूची जिला विपणन अधिकारी को अनिवार्य रूप से प्रेषित करेगा।

16. सभी विवादों और इकरारनामा से वांछित किसी भी शर्तों के संबंध में मतभेद उत्पन्न होने पर प्रकरण प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, रायपुर को प्रस्तुत किया जावेगा। प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम होगा तथा दोनों पक्षकारों को मान्य होगा।
17. बारदाना गठान रेक हैण्डलिग एवं परिवहन हेतु निविदा प्रपत्र में दिये गये नियम एवं शर्तों तथा संबंधित दस्तावेज इस अनुबंध के अंग है।
18. बारदाना गठान रेक हैण्डलिग एवं परिवहन हेतु समय–समय पर राज्य शासन एवं विपणन संघ द्वारा जारी निर्देश निविदा के भाग माने जायेगे।
19. मैं (पक्ष क्रमांक 2) इस बात की पुष्टि करता हूं कि हमें/मुझे उक्त दरों के अतिरिक्त कोई अन्य प्रभार देय नहीं होगा। उपरोक्त दरों में सभी प्रकार के कर एवं अन्य वैधानिक उत्तरदायित्व सम्मिलित है।

उपरोक्तानुसार आज दिनांक ..... को इकरारनामा में हस्ताक्षर किये।

गवाह :–

1. नाम .....
   पता .....
   .....
   हस्ताक्षर .....

पक्ष 01 छ0ग0राज्य सहकारी विपणन संघ की ओर से

2. नाम .....
   पता .....
   .....
   हस्ताक्षर .....

पक्ष 02 एच.एण्ड.टी. एवं परिवहनकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील

परिशिष्ठ–7

PRE-CONTRACT INTEGRITY PACT

1. GENERAL

1.1. This pre-bid contract Agreement (herein after called the Integrity Pact) is made on day of the month 20, between, the **Chhattisgarh State Co-operative Marketing Federation Ltd.** acting through Shri_____(Designation of the officer, Department) (hereinafter called the "**BUYER/PRINCIPAL**", which expression shall mean and include, unless the context otherwise requires, his successors in the office and assigns) and the First Party, proposes to procure (Name of the Stores/Equipment/Work/Service/Materials) and M/s._____ represented by Shri_____ Chief Executive Officer/Authorised Signatory (hereinafter called the **"BIDDER/SELLER/CONTRACTOR"**, which expression shall mean and include, unless the context otherwise requires, his successors and permitted assigns) and the Second Party, is willing to offer/ has offered.

1.2. WHEREAS the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR is a Private Company/Public Company/ Government Undertaking/ Partnership/Registered Export Agency, constituted in accordance with the relevant law in the matter and the BUYER/PRINCIPAL is a Registered Co-operative Society under the provisions of Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 performing its function on behalf of the Government of Chhattisgarh.

2. OBJECTIVES

NOW, THEREFORE, the BUYER/PRINCIPAL and the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR agree to enter into this pre-contract agreement, hereinafter referred to as Integrity Pact, to avoid all forms of corruption by following a system that is fair, transparent and free from any influence/prejudiced dealings prior to, during and subsequent to the Contract to be entered into with a view to:-

2.1. Enabling the BUYER/PRINCIPAL to obtain the desired Stores/Equipment /Work/Service/Materials at a competitive price in conformity with the defined specifications by avoiding the high cost and the distortionary impact of corruption on public procurement, and.

2.2. Enabling BIDDER/SELLER/CONTRACTOR to abstain from bribing or indulging in any corrupt practices in order to secure the contract by providing assurance to them that their competitors will also abstain from bribing any corrupt practices and the BUYER/PRINCIPAL will commit to prevent corruption, in any form, by its official by following transparent procedures.

3. COMMITMENTS OF THE BUYER/PRINCIPAL

The BUYER/PRINCIPAL commits itself to the following:-

3.1. The BUYER/PRINCIPAL undertakes that no official of the BUYER/PRINCIPAL, connected directly or indirectly with the contract, will demand, take promise for or accept, directly or through intermediaries, any bribe, consideration, gift, reward, favour or any material or immaterial benefit or any other advantage from the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, either for themselves or for any person, organization or third party related to the contract in exchange for an advantage in the bidding process, bid evaluation, contracting or implementation process related to the contract.

3.2. The BUYER/PRINCIPAL will, during the pre-contract stage, treat all BIDDER /SELLER/CONTRACTORs alike, and will provide to all BIDDER/ SELLER/ CONTRACTORs the same information and will not provide any such information to any particular BIDDER/SELLER/CONTRACTOR which could afford an advantage to that particular BIDDER/SELLER/CONTRACTOR in comparison to the other BIDDER/SELLER/CONTRACTORs.

3.3. All the officials of the BUYER/PRINCIPAL will report the appropriate Government office any attempted or completed breaches of the above commitments as well as any substantial suspicion of such a breach.

In case any such preceding misconduct on the part of such official(s) is reported by the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR to the BUYER/PRINCIPAL with the full and verifiable facts and the same is *prima facie* found to be correct by the BUYER/PRINCIPAL, necessary disciplinary proceedings, or any other action as deemed fit, including criminal proceedings may be initiated by the BUYER/PRINCIPAL and such a person shall he debarred from further dealings related to the contract process. In such a case, while an enquiry is being conducted by the BUYER/PRINCIPAL, the proceedings under the contract would not be stalled.

4. COMMITMENTS OF BIDDER/SELLER/CONTRACTORS

The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR commits itself to take all measures necessary to prevent corrupt practices, unfair means and illegal activities during any stage of its bid or during any pre-contract or post-contract stage in order to secure the contract or in furtherance to secure it and in particular commit itself to the following:-

4.1. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR will not offer, directly or through intermediaries, any bribe, gift, consideration, reward, favour, any material or immaterial benefit or other advantage, commission, fees, brokerage or inducement to any official of the BUYER/PRINCIPAL, connected directly or indirectly with the biding process, or to any person, organization or third party related to the contract in exchange for any advantage in the bidding, evaluation, contracting and implementation of the contract.

4.2. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR further undertakes that it has not given, offered or promised to give, directly or indirectly any bribe, gift, consideration, reward, favour, any material or immaterial benefit or other advantage, commission, fees, brokerage, or inducement to any official of the BUYER/PRINCIPAL or otherwise in procuring the Contract of forbearing to do or having done any act in relation to the obtaining or execution of the contract or any other contract with the Government for showing or forbearing to show favour or disfavour to any person in relation to the contract or any other contract with the Government.

4.3. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR further confirms and declares to the BUYER/PRINCIPAL that the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR is the original Manufacture/Integrator/Authorized government sponsored export entity of the stores and has not engaged any individual or firm or company whether Indian or foreign to intercede, facilitate or in any way to recommend to the BUYER/PRINCIPAL or any of its functionaries, whether officially or unofficially to the award of the contract to the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, nor has any amount been paid, promised or intended to be paid to any such individual, firm or company in respect of any such intercession, facilitation or recommendation.

4.4. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, either while presenting the bid or during pre-contract negotiations or before signing the contract, shall disclose any payment he has made, is committed to or intends to make to officials of the BUYER/PRINCIPAL or their family members, agents, brokers or any other intermediaries in connection with the contract and the details of services agreed upon for such payments.

4.5. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR will not collude with other parties interested in the contract to impair the transparency, fairness and progress of the bidding process, bid evaluation, contracting and implementation of the contract.

4.6. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR will not accept any advantage in exchange for any corrupt practice, unfair means and illegal activities.

4.7. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR shall not use improperly, for purpose of competition or personal gain, or pass on to others, any information provided by the BUYER/PRINCIPAL as part of the business relationship, regarding plans, technical proposal and business details, including information contained in any electronic data carrier. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR also undertakes to exercise due and adequate care lest any such information is divulged.

4.8. The BIDDER/ SELLER/CONTRACTOR commits to refrain from giving any complaint directly or through any other manner without supporting it with full and verifiable facts.

4.9. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR shall not instigate or cause to instigate any third person to commit any of the acts mentioned above.

5. PREVIOUS TRANSGRESSION

5.1 The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR declares that no previous transgression occurred in the last three years immediately before signing of this Integrity Pact with any other company in any country in respect of any corrupt practices envisaged hereunder or with any Public Sector Enterprise in India or any Government Department in India that could justify B1DDER's exclusion from the tender process.

5.2. If the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR makes incorrect statement on this subject, BIDDER/SELLER/CONTRACTOR can be disqualified from the tender process or the contract, if already awarded, can be terminated for such reason.

6. EARNEST MONEY (SECURITY DEPOSIT)

6.1. Every BIDDER/SELLER/CONTRACTOR while submitting commercial bid, shall deposit an amount as specified in RFP/Tender Documents as Earnest Money/Security, Deposit, with the BUYER/PRINCIPAL through any of the following instruments:

(i) Bank Draft or a Pay Order in favour of.. .....

(ii) A confirmed guarantee by an Indian Nationalised Bank, promising payment of the guaranteed sum to the ..... (BUYER/PRINCIPAL) on demand within three working days without any demur whatsoever and without seeking any reasons whatsoever. The demand for payment by the BUYER/PRINCIPAL shall be treated as conclusive proof of payment.

(iii) Any other mode or through any other instrument (to be specified in the RFP/Tender Documents).

6.2. The Earnest Money/Security Deposit shall be valid upto a period of five years or the complete conclusion of the contractual obligations to the complete satisfaction of both the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR and BUYER/PRINCIPAL, including warranty period, whichever is later.

6.3. In the case of successful BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, a clause would also be incorporated in the Article pertaining to Performance Bond in the Purchase Contract that the provisions of Sanctions for violation shall be applicable for forfeiture of Performance Bond in case of a decision by the BUYER/PRINCIPAL to forfeit the same without assigning any reason for imposing sanction for violation of this Pact.

6.4. No interest shall be payable by the BUYER/PRINCIPAL to the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR on Earnest Money/Security Deposit for the period of its currency.

7. SANCTIONS FOR VIOLATIONS

7.1. Any breach of the aforesaid provisions by the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR or any one employed by it or acting on its behalf (whether with or without the knowledge of the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR) shall entitle the BUYER/PRINCIPAL to take all or *any* one of the following actions, wherever required:-

(i) To immediately call off the pre contract negotiations without assigning any reason or giving any compensation to the BIDDER/SELLER /CONTRACTOR. However, the proceedings with the other BIDDER/ SELLER /CONTRACTOR(s) would continue.

(ii) To forfeit fully or partially the Earnest Money Deposit (in pre-contract stage) and/or Security Deposit/Performance Bond (after the contract is signed), as decided by the BUYER/PRINCIPAL and the BUYER/ PRINCIPAL shall not be required to assign any reason therefore.

(iii) To immediately cancel the contract, if already signed, without giving any compensation to the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR.

(iv) To recover all sums already paid by the BUYER/PRINCIPAL, and in case of the Indian BIDDER/SELLER/CONTRACTOR with interest thereon at 2% higher than the prevailing Prime Lending Rate of _____ (Name of the Bank/Financial Institution) while in case of a BIDDER/SELLER/CONTRACTOR from a country other than India with Interest thereon at 2% higher than the LIBOR. If any outstanding payment is due to the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR from the BUYER/ PRINCIPAL in connection with any other contract such outstanding payment could also be utilized to recover the aforesaid sum and interest

(v) To encash the advance bank guarantee and performance bond/warranty bond, if furnished *by* the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR, in order to recover the payments, already made by the BUYER/PRINCIPAL, along with interest.

(vi) To cancel all or any other contracts with the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR and the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR shall be liable to pay compensation for any loss or damage to the BUYER/PRINCIPAL resulting from such cancellation/rescission and the BUYER/PRINCIPAL shall be entitled to deduct the amount so payable from the money(s) due to the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR.

(vii) To debar the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR from participating in future bidding processes of the BUYER/ PRINCIPAL for a minimum period of five years, which may be further extended at the discretion of the BUYER/ PRINCIPAL.

(viii) To recover all sums paid in violation of this Pact by BIDDER/SELLER/CONTRACTOR(s) to *any* middlemen or agent or broken with a view to securing the contract.

(ix) In cases where irrevocable Letters of Credit have been received in respect of any contract signed by the BUYER/PRINCIPAL with the BIDDER/ SELLER/CONTRACTOR, the same shall not be opened.

(x) If the BIDDER /SELLER/CONTRACTOR or any employee of the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR or any person acting on behalf of the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, either directly or indirectly, is closely related to any of the officers of the BUYER/PRINCIPAL, or alternatively, if any close relative of an officer of the BUYER/PRINCIPAL has financial interest/stake in the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR's firm, the same
shall be disclosed by the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR at the time of tilling of tender. Any failure to disclose the interest involved shall
entitle the BUYER/PRINCIPAL to rescind the contract without payment of *any* compensation to the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR.

The term 'close relative' for this purpose would mean spouse whether residing with the Government servant or not, but not include a spouse separated from the Government servant by a decree or order of a competent court; son or daughter or step son or step daughter and wholly dependent upon Government servant, but does not include a child or step child who is no longer in any way dependent upon the Government servant or of whose custody the Government servant has been deprived of by or under any law; any other person related, whether by blood or marriage, to the Government servant or to the Government servant's wife or husband and wholly dependent upon Government servant

(xi) The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR shall not lend to or borrow any money from or enter into any monetary dealings or transactions, directly or indirectly, with any employee of the BUYER/PRINCIPAL, and if he does so, the BUYER/PRINCIPAL shall be entitled forthwith to rescind the contract and all other contracts with the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR. The BIDDER /SELLER/ CONTRACTOR shall be liable to pay compensation for any loss or damage to the BUYER/PRINCIPAL resulting from such rescission and the BUYER/PRINCIPAL shall be entitled to deduct the amount so payable from the money(s) due to the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR.

7.2. The decision of the BUYER/PRINCIPAL to the effect that a breach of the provisions of this pact has been committed by the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR shall be final and conclusive on the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR. However, the BIDDER/ SELLER/CONTRACTOR can approach the Monitor(s) appointed for the purposes of this Pact.

8. FALL CLAUSE

8.1. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR undertakes that if has not supplied/is not supplying similar product/systems or subsystems at a price lower than that offered in the present bid in respect of any other Department of the Government of Chhattisgarh or PSU and if it is found at any stage that similar product/systems or sub systems was supplied by the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR to any other Department of the Government of Chhattisgarh or a PSU at a lower price, then that very price, with due allowance for elapsed time, will be applicable to the present case and the difference in the cost would he refunded by the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR to the BUYER/PRINCIPAL, if the contract has already been concluded.

9. INDEPENDENT' MONITORS

9.1. The BUYER/PRINCIPAL will appoint Independent Monitors (hereinafter referred to as Monitors) for this Pact.

9.2. The task of the Monitors shall be to review independently and objectively, whether and to what extent the parties comply with the obligations under this Pact.

9.3. The Monitors shall not be subject to instructions by the representatives of the parties and perform their functions neutrally and independently.

9.4. Both the parties accept that the Monitors have the right to access all the documents relating to the project/procurement, including minutes of meetings. The Monitor shall be under contractual obligation to treat the information and documents of the BIDDER/SELLER/ CONTRACTOR Subcontractor(s) with confidentiality.

9.5. As soon as the Monitor notices, or has reason to believe, a violation of this Pact, he will so inform the Authority designated by *the* BUYER/PRINCIPAL.

9.6. The Monitor will submit a written report to the designated Authority of BUYER/PRINCIPAL/Secretary of the BUYER/PRINCIPAL within 8 to 10 weeks from the date of reference or intimation to him by the BUYER/ PRINCIPAL/ BIDDER/SELLER/ CONTRACTOR and, should the occasion arise, submit proposals for correcting problematic situations

10. FACILITATION OF INVESTIGATION

In case of any allegation of violation of any provisions of this Pact or payment of commission, the **BUYER/PRINCIPAL or its agencies shall be entitled to examine all the documents including** the Books of Accounts of the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR and the BIDDER/SELLER /CONTRACTOR shall provide necessary information of the relevant documents and shall extend all possible help for the purpose of such examination,

11. LAW AND PLACE OF JURISDICTION

This Pact is subject to Indian Law, the place of performance and jurisdiction shall be the seat of the BUYER/PRINCIPAL i.e at **RAIPUR Chhattisgarh**.

12. OTHER LEGAL ACTIONS

The actions stipulated in this Integrity Pact are without prejudice to any other legal action that may follow in accordance with the provisions of the any other law in force relating to any civil or criminal proceedings.

13. VALIDITY

13.1. The validity of this Integrity Pact shall be from the date of its signing and extend up to 5 years or the complete execution of the contract to the satisfaction of both the BUYER/PRINCIPAL and the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR whichever is later, In case BIDDER/SELLER /CONTRACTOR is unsuccessful, this Integrity Pact shall expire after six months from the date of the signing of the contract.

13.2. If one or several provisions of this Pact turn out to be invalid; *the* remainder of this Pact shall remain valid. In such case, the parties will strive to come to an agreement to their original intentions.

14. The parties hereby sign this Integrity Pact at..... on .....

BUYER/PRINCIPAL	**BIDDER/SELLER/CONTRACTOR**
Name of the Officer	
OFFICER	**CHIEF EXECUTIVE**
Destination	
Chhattisgarh State Co-operative Marketing Fed.Ltd.	
Witness	**Witness**
1) _____	**1)**
_____	
2) _____	**2)**
_____	

परिशिष्ट 8

जिला कार्यालयों के बैंक खातों की जानकारी

क्र.	जिला कार्यालय का नाम	बैंक का नाम	खाता नंबर	IFSC Code NO.
1	C.G. State Co- Operative Marketing Federation Ltd. **DMO Raipur**	Bank of Baroda, Raipur (C.G.)	45760200000314	BARB0SANRAI
2	C.G. State Co- Operative Marketing Federation Ltd. **Janjgir**	State Bank of India	10784114104	SBIN0000395
3	C.G. State Co Op Mkt Fed Ltd. Dudhawa Road, **Kanker**	State Bank of India, Jagdalpur Road, Kanker (C.G.)	11229285587	SBIN0000401
4	C.G. State Co- Operative Marketing Federation Ltd. **Dhamtari**	Axis Bank, Dhamtari	667010200001328	UTIB0000667
5	Dmo Chhattisgarh Rajya Sahkari Wipanan **Bemetara**	State Bank of India, Mohbhatta Road Bemetara	32721002365	SBIN0000296
6	C.G. State Co- Operative Marketing Federation Ltd. **Rajnandgaon**	Punjab National Bank, Rajnandgaon (C.G.)	0492002100021410	PUNB0049200
7	C.G. State Co- Operative Marketing Federation Ltd. **Raigarh**	State Bank of India, Raigarh (C.G.)	10535703364	SBIN0003019
8	C.G. State Co- Operative Marketing Federation Ltd. **Bilaspur**	State Bank of India, Bilaspur (C.G.)	10826084988	SBIN0000336
9	C.G. State Co- Operative Marketing Federation Ltd. **Mungeli**	State Bank of India, Mungeli (C.G.)	32781531434	SBIN0001144
10	C.G. State Co- Operative Marketing Federation Ltd. **Baloda Bazar (C.G.)**	State Bank of India, Baloda Bazar C.G.)	32773029625	SBIN0001048
11	C.G. State Co- Operative Marketing Federation Ltd. **Korba**	State Bank of India, Korba C.G.)	10427223292	SBIN0006047
12	C.G. State Co- Operative Marketing Federation Ltd.**Bijapur**	State Bank of India, Bijapur C.G.)	33726419784	SBIN0002835
13	C.G. State Co- Operative Marketing Federation Ltd. **Jagdalpur**	State Bank of India, Jagdalpur C.G.)	10456193099	SBIN0000392
14	C.G. State Co- Operative Marketing Federation Ltd. **Jashpu**r	State Bank of India, Jashpur C.G.)	10913924422	SBIN0000542
15	C.G. Rajya Sah. Vipnan Sangh Mydt. **Kondagaon (C.G.)**	State Bank of India, Kondagaon (C.G.)	32802306576	SBIN0001265
16	C.G. State Co- Operative Marketing Fedn. Ltd. **Mahasamund**	State Bank of India, Mahasamund	10757269309	SBIN0000416
17	C.G. State Co- Operative Marketing Federation Ltd. **Durg**	Axis Bank Bhilai (CT), Bhilai 490020	916010007214902	UTIB0000214
18	C.G. Rajya Sah. Vipnan Sangh Mydt. **Balod**	Axis Bank, Jhalmala, Balod (C.G.)	918020011305725	UTIB0001729
19	C.G. State Co- Operative Marketing Fedn. Ltd. Baikuthpur Dist. **Koriya**	State Bank of India, Baikuthpur	11032259558	SBIN0000449
20	C.G. State Co- Operative Marketing Fedn. Ltd. **Narayanpur (C.G.)**	State Bank of India, Narayanpur	32799136558	SBIN0002878
21	C.G. State Co- Operative Marketing Fedn. Ltd. **Kawardha (C.G.)**	State Bank of India, Bahadur Ganj ward, SBI Road, Kawardha (C.G.)	11219095279	SBIN0000406
22	C.G. Rajya Sah. Vipnan Sangh Mydt. Jila Karyalay **Gariaband**	State Bank of India, Gariaband (C.G.)	32674715084	SBIN0004745
23	C.G. State Co- Operative Marketing Fedn. Ltd. **Ambikapur (C.G.)**	State Bank of India, (00310) Ambikapur, Dist. Sarguja	10905979888	SBIN0000310
24	C.G. Rajya Sah. Vipnan Sangh Mydt. **Balrampur**	State Bank of India, Main Road, Balrampur (C.G.)	33327273622	SBIN0015464
25	C.G. State Co- Operative Marketing Fedn. Ltd. **Surajpur (C.G.)**	State Bank of India, Surajpur (C.G.)	33323233694	SBIN0000576
26	C.G. State Co- Operative Marketing Fedn. Ltd. **Dantewada (C.G.)**	State Bank of India, Dantewada Dist. Bastar	10753199479	SBIN0000545
27	C.G. State Co- Operative Marketing Fedn. Ltd. **Sukhma (C.G.)**	State Bank of India, Dist. Sukhma	36109887538	SBIN0002894

परिशिष्ठ 9

(पचास रूपये के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया जायेगा)

शपथ पत्र

मैं/हम.....यह निष्ठापूर्वक कथन करता हूँ/करते है कि छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित रायपुर द्वारा परिवहन निविदा के अंतर्गत निविदा निर्देश एवं मार्गदर्शक सूचनाएं की कंडिका 2.1 अनुसार एक जिलें हेतु प्रस्तुत ट्रक दूसरे जिलें हेतु प्रस्तुत करना पाया जाता है तो निविदा अमान्य की जावेंगी। तो उसके लिये मैं/हम जिम्मेदार/जवाबदार होंगे एवं निविदा निरस्त/अमान्य की जावें।

स्थान..... **निविदाकार के हस्ताक्षर एवं सील**

1.....

2.....

फोन नं. (कार्यालय).....

घर.....मोबाइल नं.....

.....